

पंचायती राज प्रणाली में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका



गायत्री

सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एस.पी.सी. राजकीय
महाविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारतीय लोकतन्त्र के विकेन्द्रीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण पंचायती राज है। भारत में प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ एवं समान अधिकार प्राप्त थी। कालान्तर में समाज में महिलाओं को दायम दर्जे तक ला दिया गया। समाज में उसकी स्थिति घर की चारदीवारी तक सीमित कर दी गई। हालांकि स्वाधीनता आन्दोलन में भी महिलाओं ने भाग लिया। स्वतन्त्रता उपरान्त संविधान द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय निकायों सम्बन्धी 7^{वीं} एवं 74^{वीं} संशोधन विधेयक पारित किया गया। इन संशोधनों द्वारा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया। आज यह आरक्षण कुछ राज्यों में बढ़ा कर 50% कर दिया गया है। इस आरक्षण व्यवस्था के पश्चात् महिलाओं ने पंचायतों में अपनी भूमिका का निर्वाह किस प्रकार किया, इसका बिन्दुवार वर्णन दिया गया है। स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। इन पक्षों का वर्णन करते समय नकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया गया है। इन नकारात्मक पहलुओं को देखते हुए महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को सशक्त बनाने के सुझाव भी प्रस्तुत किये गये हैं। निष्कर्ष :-यह कहा जा सकता है कि आज पंचायती राज में महिला जनप्रतिनिधि अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही हैं।

मुख्य शब्द : वैदिक काल, पंचायतें, ग्रामीण समाज, 73वें संविधान संशोधन।
प्रस्तावना

“आम जनता को आप राजनीति की ओर तब तक आकर्षित नहीं कर सकते, जब तक महिलाएं भी राजनीति में दिलचस्पी न लें। इसकी वजह यह है कि महिलाएं, जो मानव समुदाय का आधा हिस्सा है, पूंजीवाद तथा घर-गृहस्थी का झंझट जैसे दो तरह के उत्पीड़न को झेलती हैं।”¹

वी.आई.लेनिन

लेनिन ने 1921 में अन्तर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस के अवसर पर यह कथन कहा था। भारत ने इस सामाजिक सच्चाई को जानते हुए ही महिलाओं को राजनीति में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। प्राचीन भारत की चर्चा करें तो वैदिक काल में दम्पति शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ था कि घर पर स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार हैं। यही विचार अवेस्ता में भी देखने को मिलते हैं। अवेस्ता के अनुसार, “स्त्री पुरुष को समान अधिकार देने के साथ उनका कहना है कि पत्नि को पति के कठोर अनुपालना में रहना चाहिए।” ऋग्वेद में और गृहसूत्र में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि महिलाओं को धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का समान अवसर तो था ही, साथ-साथ ही कभी-कभी पति की अनुपस्थिति में पत्नि इन कार्यों को अकेले भी कर सकती थी। अनेक महिलाएं ऋषि और धर्माचार्य की श्रेणी में आती थीं।² उल्लेखनीय महिलाओं में लोपा, मुद्रा, अपाला, विश्वधारा, शिकता, निवेवरी, घोषा आदि प्रसिद्ध थीं। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य विद्वान हैं कि वैदिक काल में उच्च शिक्षा, जिसके अन्तर्गत वैदिक शिक्षा भी आती थी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से खुली थी। वैदिक काल में महिलाओं का स्तर और स्थिति यूनान और रोम के किसी भी प्राचीनकाल से बेहतर थी।³

कालान्तर में हिन्दू संस्कृति में महिलाओं को अंध दास्ता में जकड़ दिया गया। उसके समग्र कार्य-कलाप पुरुष के आज्ञानुसार होते रहे। पुरुष की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति उसमें नहीं रही। पुरुष ने कहा, “तुम्हारा एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि मन, वाणी और कार्य से पति के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा ईश्वर है। तुम उसके लिये

अपना जीवन समर्पण कर दो और पति के न रहने पर तुम्हारे लिए उत्तम है कि तुम भी उसके साथ, उसकी लाश अपनी गोद में रखकर चिता में जल जाओ।⁴ उस काल में पुरुष महिला के स्वतन्त्र, स्वाभाविक विकास में सदा-सर्वदा बाधा बना रहा और उसने उसे मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। इस सन्दर्भ में पं. चन्द्रिका प्रसाद 'जिज्ञास' का मत बड़ा मार्मिक है। उन्होंने लिखा, "संसार के प्रायः सभी देशों में पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी सेवा और भोग-विलास की वस्तु बनाया। उसको भोजन बनाने और बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर उसे मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया।"⁵

स्वाधीनता आन्दोलन एवं महिलाएं

महात्मा गाँधी का विचार था कि स्वाधीनता आन्दोलन की सफलता तब तक दूर रहेगी, जब तक महिलाएं उनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगी। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे घरों से बाहर निकलें और स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लें।⁶ महात्मा गाँधी मानते थे कि महिलाएं परम्पराओं और पुरुष जनित कानूनों के कारण दबी हुई हैं। उन्हें अपने भविष्य को संवारने का उतना ही अधिकार है, जितना कि पुरुषों को।⁷ महात्मा गाँधी के इन्हीं प्रयासों से महिलाओं ने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया तथा अपनी उपस्थिति दर्ज की।

स्वतंत्र भारत में महिलाएं

नारी महत्ता को स्पष्ट करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा था, "नारी जीवन की महानतम विभूति है, क्योंकि उसकी अपरिहार्य महत्ता है। उसके द्वारा ही बोधिसत्व तथा विश्व के अन्य शासक जन्म ग्रहण करते हैं।"⁸ डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिला मुक्ति के लिए अनुच्छेद 15(1) द्वारा लिंग के आधार पर किये जाने वाले भेद को समाप्त किया। महिलाओं को पुरुषों के समान सारे राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये। अनुच्छेद 14 द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा दिलाया। समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने की व्यवस्था की। यदि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी देखी जाए तो लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में हुए थे। इन चुनावों में सदस्यों की कुल संख्या 489 थी। इसमें 23 महिलाएं और 466 पुरुष थे। आज जब 16वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में कुल संख्या में से 61 महिलाएं ही सांसद बनीं। देश की आधी आबादी अभी भी उचित प्रतिनिधित्व के लिए प्रयासरत है। यदि स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो 1992 में जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया। उसमें महिलाओं के 143 स्थान आरक्षित रखे गये। अनुच्छेद 243.डी ;3द्ध में कहा गया है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने वाले कुल स्थानों में से कम से कम एक तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और इन स्थानों को किसी पंचायत में चक्रानुक्रम के जरिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया जाएगा और इस कानून की धारा 4 में निम्नांकित व्यवस्था है :-प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्ष के जो भी पद हैं, उनमें से कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगे, साथ ही यह

भी प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत जो पद सुरक्षित किये जायेंगे, वे चक्रानुक्रम के जरिए प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंचायतों को आवंटित किये जायेंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तर पर एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा।

अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई अध्यक्ष के पद आरक्षित होंगे। क्षेत्र पंचायत में एक तिहाई ऐसी ग्राम पंचायतें होंगी, जिनमें केवल महिलाएं ही सरपंच बनेंगी। राज्य में एक तिहाई ऐसे जिले होंगे, जिनमें केवल महिला ही जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेंगी।

निर्वाचित निकायों में महिलाओं के एक तिहाई प्रतिनिधित्व तथा अध्यक्ष पद पर एक तिहाई स्थान सुरक्षित करने के संविधान संशोधन से भारत की राजनीति एवं सामाजिक जीवन में दूरगामी परिणाम सामने आये, क्योंकि भारत जैसे परम्परागत समाज में जब तक महिलाओं की पूरी-पूरी हिस्सेदारी नहीं होगी, हम जनतंत्र को सार्थक नहीं बना सकते। इसी जनतंत्र को सार्थक बनाने के लिए भारत सरकार ने ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन कर 33 प्रतिशत आरक्षण को 50 प्रतिशत कर दिया गया। संविधान में यह संशोधन नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, आसाम के आदिवासी क्षेत्रों, त्रिपुरा और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। आजादी के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है। महिलाओं की इस शक्ति को अब पहचान मिल चुकी है और उन्होंने कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने पदों पर रहकर न्याय किया है।

प्रारंभ में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बहुत कम थी। परंतु पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो पता चलता है की वर्तमान में महिलाएं सत्ता में सहभागिता चाहती हैं और वे विधानसभा वह संसद में 33: महिला आरक्षण की मांग कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक सन 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2005 और 2010 में पेश किया परंतु इसके पारित न होने का प्रमुख कारण पक्ष और विपक्ष के मतभेद हैं। यदि महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रीय महत्व का मामला मानते हुए आम राय बनाई जाए तो देश की राजनीति में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ जाएगी।

अध्ययन पद्धति

1. ऐतिहासिक पद्धति
2. अन्तर्विषयक अध्ययन पद्धति
3. संरचनात्मक अध्ययन पद्धति

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति के ऐतिहासिक स्वरूप को जानना।
2. भारतीय इतिहास में वैदिक काल से स्वाधीनता आन्दोलन तक महिलाओं की जो भूमिका रही, उसका अध्ययन करना।
3. स्वतन्त्र भारत में 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिला आरक्षण के संरचनात्मक पहलू को जानना।
4. आरक्षण के पश्चात् पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों के कार्यों का उल्लेख करना।
5. कार्यों के पश्चात् महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका में सुधार लाने के सुझाव प्रस्तुत करना।

महिलाओं को मिले आरक्षण ने पुरुष प्रधान समाज में पर्दे (घूँघट) में सिसक रही आधी दुनिया की सारी दुनिया ही बदल दी है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों का मात्र चुनाव जीतकर पंचायत में स्थान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य यह भी है कि महिलाएं पंचायतों में आकर समाज के प्रति कुछ विशेष दायित्वों का निर्वहन करें। इस उद्देश्य में वह कहां तक खरी उतरी है। यह जानना ही शोध पत्र का उद्देश्य है।

पंडित नेहरू ने ठीक ही कहा था की पंचायत हमारी राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। उनको काम करने दो चाहे वह हजारों गलतियां करें संभवत है यह कहा जा सकता है कि गलतियां करते करते और सीखते-सीखते 1 दिन यही पंचायत हैं स्वशासन की स्वस्थ और सशक्त इकाई बनकर कार्य करने लगेगी और संविधान की धारा तथा संविधान 73 वा संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज को सफल बनाने का सपना पूरा हो सकेगा।¹⁰

महिला जन प्रतिनिधियों की भूमिका के विशेष बिन्दु

1. महिला जन प्रतिनिधि गांव के सजग प्रतिनिधि के रूप में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता की भयानकता को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है। महिला जनप्रतिनिधि निरक्षरता दूर करने हेतु जन-जागरण अभियान, व्यक्तिगत सम्पर्क, विद्यालयों की उपलब्धता, उनमें शौचालयों की उपलब्धता लड़कियों को विशेष रूप से विद्यालय में दाखिल कराने पर विशेष ध्यान देती है।
2. महिला जन प्रतिनिधि, महिलाओं में स्वयं के एवं परिवार के स्वास्थ्य के लिए महिलाओं को जागरुक करती है। गर्भवती महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सुविधाओं, पोलियो मुक्त भारत बनाने में महिला जन प्रतिनिधि स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर निरन्तर प्रयासरत रहती है।
3. पंचायतों के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की एक अहम भूमिका जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में भी है। साक्षरता बढ़ने के साथ-साथ इन कार्यक्रमों की सफलता की दर में वृद्धि हुई है। आज भारत की जनसंख्या 1359843564 करोड़ (2018) भारत विश्व में

जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या अधिक होने से प्राकृतिक संसाधनों की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था करने में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इसके लिए महिला प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष रूप से महिलाओं को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उनमें वांछित जागृति उत्पन्न कर उचित भावनाओं को प्राप्त कर नियोजित परिवार की संकल्पना उनमें विकसित करके परिवार, ग्राम, क्षेत्र राज्य एवं राष्ट्र को खुशहाल बनाने में अपना विशेष योगदान दे सकती है।

4. ग्रामीण गरीबों के कल्याण के लिए विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं उन्हें आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देने एवं उनके सफल क्रियान्वन में इन महिला प्रतिनिधियों का विशेष योगदान रहा है। रोजगार सृजन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, इन्दिरा आवास योजना (मनरेगा), उज्ज्वला योजना, जनता जल योजना, जल स्वावलम्बन योजना, भामाशाह कार्ड, ग्रामीण विकास योजना इत्यादि।
5. आज जब राजनीति में भ्रष्टाचार, गुण्डागर्दी और निजी स्वार्थ पूर्ति जैसे प्रदूषणों से युक्त हो चुकी है। ऐसे में महिलाओं का स्थानीय राजनीति में प्रवेश राजनीति को इन बुराईयों से मुक्त करायेगा। ऐसा अमूमन देखा गया है कि महिला जन प्रतिनिधि पुरुषों की तुलना में भ्रष्टाचार में कम लिप्त पाई गई हैं।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोगुना दर्जे की रही है। यदि कोई महिला आगे बढ़कर कोई कार्य करना भी चाहती है, तो समाज स्वीकार नहीं करता। समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज, बाल विवाह तथा रुढ़िवादिता आज भी विद्यमान है। ऐसे में महिला जन प्रतिनिधि, जो चुने जाने के समय चैंक पर अंगूठा लगाती थीं, उन्होंने हस्ताक्षर करना सीख लिया। स्थिति यह है कि घूँघट में सिमटी नई महिला सरपंच अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष से सवाल करने लग जाती है। समाज की पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों से मुक्ति के लिये महिला जन प्रतिनिधि निरन्तर प्रयास करती है।
7. आजकल सरपंच पति, प्रधान पति जैसे नये पदनाम भी राजस्थान में प्रचलित हो रहे हैं। ये पदनाम उन महिला सरपंचों एवं प्रधान के पतियों को दिया जाता है, जो निरन्तर महिला जन प्रतिनिधियों के कार्यों में सहयोग करते हैं। यदि नकारात्मक रूप में देखें तो वे हस्तक्षेप करते हैं। शुरुआती चरण में महिला प्रतिनिधि इन्हीं पति, ससुर, जेठ, देवर या पुत्र के सानिध्य में कार्य करती है, परन्तु धीरे-धीरे वह समस्त कार्य को अपने हाथ में ले लेती है।
8. महिला जन प्रतिनिधियों के कारण अब विकास कार्यों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब शौचालय, हैण्डपंप, पीने का पानी, टीकाकरण, पोशाहार तथा

ईंधन समस्या पर प्रस्ताव अधिक देती है, क्योंकि ये महिलाएं स्वयं उन समस्याओं से जूझती हैं, अर्थात् वास्तव में यह ग्रामीण सरकार है, जो ग्रामीण समस्याओं का निराकरण करती है।

9. पंचायती राज प्रणाली में जबसे दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति पंचायती राज का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, तबसे महिला या पुरुषों में छोटे परिवार की अवधारणा को बल मिला है। 1997-2000 के मध्य राजस्थान में 500 से अधिक पंचायती राज जन प्रतिनिधि इस प्रावधान के कारण अपनी सदस्यता खो बैठे थे। महिलाओं में इस प्रावधान से परिवार नियोजन सम्बन्धी जागृति दिखाई है।
10. नशा मुक्ति की बात की जाए तो महिला जनप्रतिनिधियों ने सराहनीय कार्य किया है। बितरगांव महाराष्ट्र में महिलाओं की पंचायत शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में सफल रही थी। उनका यह कार्य समाज में नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय था।
11. स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी बंगाल की निर्वाचित प्रधान कमला महतो ने अपनी पंचायत समिति में सरकारी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत ऋण की व्यवस्था कर मुर्गी पालन डेरी पशुधन उधम शुरू करने वाली ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए ऋण उपलब्ध कराया। उनका यह कार्य उनके रोजगार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
12. कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील विषयों पर भी महिला जनप्रतिनिधियों ने बेहतर कार्य किया। उदाहरण स्वरूप हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव में महिलाओं को शामिल कर पहली खाप महापंचायत बुलाई गई। इस महिला ग्राम सभा ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया¹⁰।
13. संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार करते हुए जनजाति महिला जनप्रतिनिधियों ने भी पंचायतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी संदर्भ में राजस्थान के सीकर जिले की सकराय ग्रामपंचायत में चुनी गई महिला जनप्रतिनिधि सुश्री रजनी धानका ने अपनी ग्राम पंचायत में विकास उन्मुख कार्य कर प्रशंसाप्रशंसा हासिल की है।

पंचायती राज प्रणाली में कुछ अपवाद छोड़ दिये जायें तो आज की पंचायत, जहां महिला जन प्रतिनिधि कार्य कर रही हैं, वे न केवल देश में, बल्कि विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे :- आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की ग्राम पंचायत कालवा की महिला सरपंच फातिमा बी सर्वश्रेष्ठ सरपंच का संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं¹¹।

महिला जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को सशक्त बनाने के सुझाव

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में पहला अधिकार समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशेध किया गया है। समाज में समानता पर आधारित सामाजिक संरचना एवं समरसता का निर्माण

करना होगा। स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें। महिला एवं पुरुष दोनों मिलकर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग कर गांव के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें।

जो महिला जन प्रतिनिधि अनपढ़ हैं, उनको पंचायत के कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से इन महिला जन प्रतिनिधियों को साक्षर बनाना चाहिये। महात्मा गांधी ने भी कहा है : "पंचायतों को जितना ही ज्यादा अधिकार होगा, लोगों के लिये वह उतना ही बेहतर होगा। पंचायतों को प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए लोगों की शिक्षा के स्तर पर पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। मैं लोगों की प्रहार शक्ति में वृद्धि की बात नहीं सोचता, बल्कि नैतिक शक्ति में वृद्धि चाहता हूँ।

महिला जन प्रतिनिधियों को पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी बातों का प्रशिक्षण देना भी अत्यंत आवश्यक है। हालांकि समय-समय पर पंचायत विभाग द्वारा ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं, परन्तु यदि इन प्रशिक्षण कार्यक्रम और अधिक सरल एवं स्थानीय भाषा में संचालित किया जाये तो महिला जन प्रतिनिधियों को इसके बहुत लाभ प्राप्त होंगे। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, पंचायतों के हिसाब-किताब का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। इस कार्य में राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर कार्यरत ग्रामीण विकास संस्थान, शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं, परन्तु जब तब इन प्रशिक्षणों में स्थानीय भाषा का उपयोग एवं सरलतम तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा, तब तक ये सिर्फ कागजी खानापूति बनकर रहेंगे।

संचार क्रान्ति के बाद पंचायतों को ई-गवर्नेंस के माध्यम से इन्टरनेट से जोड़ा गया है। ऐसे में यदि पंचायत महिला जन प्रतिनिधि साक्षर नहीं होंगी तो वह इस आधुनिक गवर्नेंस पद्धति में अपने आप को टगा सा महसूस करेंगी। अतः शिक्षित होने के साथ उन्हें कम्प्यूटर फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। आज सरकारी योजनाओं की जानकारी उनके फार्म तथा वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार लगातार पंचायतों पर निगरानी रखती है।

भारतीय ग्रामीण समाज जाति व्यवस्था का गढ़ माना जाता है। भारत में विभिन्न जातियों एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। डॉ. अम्बेडकर तो ग्रामीणों और ग्रामीण जीवन से घृणा करते थे, क्योंकि उस समय ग्रामीण समाज कई कुरीतियों से प्रभावित था। अस्पृश्यता ग्रामीण समाज में कूट-कूट कर भरी हुई थी। इतना ही नहीं, गांव में मौहल्लों का नामकिसी जाति विशेष के बाहुल्य के आधार पर रखा जाता था। ऐसे में पंचायतों के चुनावों में गुटबाजी, जातिगत गठबन्धन देखने को मिलते हैं, अर्थात् जो जातियां कभी एक जाजम पर साथ नहीं बैठती थीं, वे पंचायत चुनावों में साथ बैठकर गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। इस परिवर्तन के बाद लोगों में समझ विकसित हुई है कि सभी समान हैं। महिलाओं को भी ग्रामीण जीवन की मुख्यधारा में लाया गया है। इन महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर लाकर ग्रामीण विकास की

कड़ी से जोड़ा है। गैर सरकारी स्वयं सहायता समूहों ने लोगों में जनजागृति का कार्य किया है।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को देख कर डॉ. अंबेडकर का यह कथन याद आता है उन्होंने कहा था कि स्त्रियों की प्रगति, जितनी मात्रा में हुई होगी, उसके आधार पर मैं उस समाज की प्रगति नापता हूँ।¹²

4.

निष्कर्षत

यह कहा जा सकता है कि आज जब महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही हैं तो ग्रामीण महिलायें भी आरक्षण के माध्यम से ग्रामीण राजनीति में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। माना कि महिला सशक्तिकरण हुआ है, परन्तु इसमें महिला उत्पीड़न कम नहीं हुआ है। देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की संख्या बढ़ी है। बलात्कार, कन्या भ्रूण हत्या, छेड़छाड़, यौन शोषण, दहेज प्रथा, मारपीट की घटनाएं (घरेलू हिंसा) शिक्षित एवं अशिक्षित सभी समाजों में हो रही हैं। नए विज्ञापनों, फिल्मों, टी.वी. सीरियलों ने महिला को विक्रय की वस्तु बना दिया है। ऐसे में कुछ वर्षों से विकास के परिणाम स्वरूप महिलाओं के प्रति सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य, साक्षरता एवं रोजगार के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। महिला जन प्रतिनिधियों के स्वयं सजग, जागरूक और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। महिलाएं स्वयं समर्थ हैं। वे अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, "नारी यदि दृढ़ता का कवच ओढ़ ले तो संसार की कोई ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती।"

पंचायतों के इस सकारात्मक पहलू के साथ हम एक नकारात्मक पहलू को नजर अंदाज नहीं कर सकते वह नकारात्मक पहलू है। सरपंच पत्नी प्रधान पति व जिला प्रमुख पति यह पतियों के रूप में महिला जनप्रतिनिधियों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इस हस्तक्षेप का कारण महिला जनप्रतिनिधियों का निरक्षर

होना है। निरक्षरता का यह कलंक दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के माध्यम से इन्हें साक्षर बनाया जाना चाहिए ताकि यह महिला जनप्रतिनिधि स्वाभिमान के साथ कार्य कर सकें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सपना साकार हो सकें।

अंत टिप्पणी

1. *Lenin's Collected Works, 1st English Edition, Progress Publisher, Moscow, 1965, Volume 32, Page 161-163.*
2. *ग्रेट वूमन ऑफ वेदिया, माधवानन स्वामी और मजूमदार रमेशचन्द्र हिमालय 1953 पेज 4, 5।*
3. *ग्रेट वूमन ऑफ वेदिया, माधवानन स्वामी और मजूमदार 1953 पेज 4, 5।*
4. *नारी जीवन की कहानी – पं. चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेज 47।*
5. *नारी जीवन की कहानी – पं. चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेज 47।*
6. *यंग इण्डिया : महात्मा गांधी, पृष्ठ सं. 71।*
7. *वीमेन इन पॉलिटिक्स : पांडे सुमन , पृष्ठ सं. 4।*
8. *हिन्दू नारी का उत्थान और पतन : डॉ. अम्बेडकर, पृष्ठ सं. 22।*
9. *यादव किशन, पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति, एक राजनीतिक अध्ययन, शब्द ब्रह्मए 2016, 4(11), 5-9.*
10. *यादव हिमांशु, पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संदर्भ में, इंटरनेशनल जनरल ऑफ एडवांस एजुकेशन रिसर्च, 2017, 2(3), 138-143.*
11. *कटारिया सुरेंद्र पंचायती राज संस्थाओं ऋ अतीत वर्तमान भविष्य ,नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, 2010, पेज नंबर 298.299 ,आईएसबीएन नंबर 8180180840.*
12. *डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ची भाषणे खण्ड.1स.मा.फ. गाजरे पृष्ठ सं. 95।*